

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 15, मंगलवार, १९४८- मई 05, 2026 Vaisakha 15, Tuesday, Saka 1948- May 05, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज़ायें।
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 29, 2026

संख्या प.01(01)न्याय/2026 :-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर	चुरू	तारानगर

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

राघवेन्द्र काछवाल,
प्रमुख शासन सचिव।